

4/25/6

पत्रावली पेश। प्राची व वकील प्राची
को बार-बार आवाज लगाई गई।
बार-बार आवाज लगाने के पश्चात
भी प्राची व वकील प्राची न्यायालय
में हाजिर नहीं आये। अतः प्राची का
प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 212 RIA
अन्तर्गत आदेश परेवी में खारिज
किया जाता है। पत्रावली फॉर्मल
नम्बर होकर नम्बर से कम होकर
दाखिल दफ्तर है।

उपग्रण्ड अधिकारी
दंवाराभगद (सीकर)